CIN :U1532UP1992SGC004091

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

वी–912, सेक्टर 'सी', महानगर, लखनऊ–226006.

Website : www.upscfdc.hqup.in

email : md.hq.upsfdc@gmail.com

पत्रॉक 104 / 2020–21 / योजना

दिनॉक: 21/07/2020

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/
पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम
उ0प्र0।

विषयः–अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु "**टेलरिंग शॉप योजना**" के संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी के युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से नई "**टेलरिंग शॉप योजना**" सीधे निगम के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत भौतिक/वित्तीय लक्ष्य, लागत, पात्रता एवं चयन प्रकिया आदि का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1–योजना की लागत तथा लक्ष्यः–

अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों को उद्यमी बनाकर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनपद हेतु "पं0दीनदयाल उपाध्याय स्व–रोजगार योजना" में निर्धरित लक्ष्य का 10 प्रतिशत अर्थात् कुल 10,000 व्यक्तियों को नवीन योजना से आच्छादित किया जायेगा। योजना की अधिकतम परियोजना लागत रू0 20,000/– है, जिसमें रू0 10,000/– अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से दी जायेगी।

2–पात्रताः–

- ऋणगृहीता अनुसूचित जाति का हो।
- गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती हो (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू. 46080/–वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम रू. 56460/– वार्षिक आय सीमा तक)
- उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किये गये ऋण का डिफाल्टर न हो।
- जाति, आय तथा निवास प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।
- ऋण आवेदन–पत्र पर आधार नम्बर अंकित किया जाय तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाय।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई–कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाये।

Scanned by CamScanner

3–चयन प्रक्रियाः–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर पूर्व से संचालित "पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार" योजनान्तर्गत गठित चयन समिति के माध्यम से किया ज़ाएगा। लाभार्थी चयन में पूर्ण पारदर्शिता का अनुपालन किया जायेगा। लाभार्थी चयनोपरान्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अनुमोदित सूची धनावंटन हेतु निगम मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

4–योजना का क्रियान्वयन तथा वित्त पोषणः–

- ➢ चयन/ औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त रू0 100/– के सामान्य स्टाम्प पेपर पर लाभार्थी से अनुबन्ध–पत्र निष्पादित कराया जायेगा जिस पर लाभार्थी का फोटो चस्पा किया जायेगा जिसे नगरीय क्षेत्र के लिये जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, अनुगम तथा ग्रामीण क्षेत्र के चयनित लाभार्थियों के मामले में सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- ➢ परियोजना स्वीकृति की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ऋण स्वीकृति पत्र लाभार्थी हेतु निर्गत किया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी द्वारा प्रोजेक्ट माड्यूल के अनुसार अपनी स्वेच्छा से ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित आई.एस.आई. मार्का सिलाई मशीन के अधिकृत विक्रेता फर्म से कोटेशन/न्यूनतम दर का प्रस्ताव प्राप्त कर जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ➢ जिला प्रबन्धक, अनुगम द्वारा लाभार्थी को परिसम्पत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित फर्म को प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को भी उपलब्ध करायी जायेगी (~~परिशिष्ट–अ~~)।
- ➢ प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा लाभार्थी को उपकरण उपलब्ध कराने एवं चलाने हेतु आवश्यक डेमो/प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- ➢ परिसम्पत्ति प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा संतोषजनक प्रमाण–पत्र के साथ बिल–बाउचर जिला प्रबन्धक, अनुगम कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ➢ उक्त बिल की धनराशि का भुगतान जनपदीय कार्यालय, अनुगम द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा। यदि निर्धारित परियोजना लागत से अधिक उपकरण कय किया जाता है तो उक्त अधिक धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- ➢ योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000.00 जो भी कम हो अनुदान के रूप में अनुमन्य है शेष 50 प्रतिशत की धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

6– ऋण अदायगीः–

लाभार्थी को ऋण वितरण की तिथि से एक माह पश्चात ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि की वसूली 36 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। निर्धारित समयावधि में ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने, परियोजना संचालित न करने अथवा धनराशि का दुरूपयोग करने की स्थिति सत्यापन में पायी जाती है तो ऋणगृहीता से अवशेष ऋण/सम्पूर्ण धनराशि पर राजस्व विभाग की भांति 10 प्रतिशत अथवा अनुमन्य संग्रह शुल्क सहित बकाया ऋण की वसूली की जायेगी।

7– वसूलीः–

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम एवं सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोड़कर अन्य समस्त परिस्थितियों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने पर ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक/सहाक प्रबन्धक, अनुगम का होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

लाभार्थी चयन में पूर्ण सतर्कता एवं पारदर्शिता सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा परियोजना स्थापित किये जाने के उपरान्त ऋण अवधि तक संचालित न करने अथवा विक्रय कर देने की स्थिति में शासकीय धनराशि के दुरूपयोग की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली भूराजस्व की भाँति की जा सकेगी।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थी का चयन कर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये लाभार्थी सूची मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराकर धनावंटन हेतु निगम मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे मांगपत्र एवं सूची के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जा सके। इस पत्र के साथ आवेदन–पत्र का प्रारूप भौतिक/ वित्तीय लक्ष्य, निर्धारित चैक बिन्दु, अनुबन्ध–पत्र, दृष्टिबधक पत्र, गारन्टी विलेख परिसम्पत्ति का अधिकार पत्र, ऋण प्राप्ति की रसीद, परिसम्पत्ति प्रदान करने का संतोषजनक प्रमाण पत्र एवं धनराशि की मॉग का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 104 तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3– समस्त मुख्यविकास अधिकारी उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण।

(ए0 एम0 भारती)
महाप्रबन्धक

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner